जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

सत्यमेव जयते

अ.शां.पत्र सं. एफ-11011/18/2011 वीआईआर (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिनांक जुलाई, 2011

प्रिय निशंकजी —

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (कार्यक्रम निधि) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सहायता निधि) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में उत्तराखण्ड को जारी की गई निधियों के बारे में 17 मार्च, 2011 के अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

2. मैंने मामले की पड़ताल कराई है और आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2010-11 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी (कार्यक्रम निधि) तथा एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता निधि) के अंतर्गत उत्तराखण्ड को क्रमशः 132.42 करोड़ रू. तथा 6.97 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया था। इसमें से एनआरडीडब्ल्यूपी (कार्यक्रम निधि) के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में राज्य को 66.21 करोड़ रू. जारी किए जा चुके हैं। जहां तक एनआरडीडब्ल्यूपी (कार्यक्रम निधि) के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी करने का प्रश्न है राज्य सरकार को उपलब्ध निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत का उपयोग करने के पश्चात राज्य द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाना होता है।

3. विदित है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम निधि के अधीन जनवरी 2011 तक मात्र 13.67 प्रतिशत राशि व्यय की है। मंत्रालय में पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के सचिव द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार को निधियों के उपयोग में तेज़ी लाने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में कुल उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत व्यय भी न किया जा सका जिससे कि दूसरी किस्त जारी किए जाने की उसकी पात्रता बन सके। अतः एनआरडीडब्ल्यूपी (कार्यक्रम निधि) के अंतर्गत राज्य को दूसरी किस्त जारी नहीं की जा सकी।

4. जहां तक एनआरडीडब्ल्यूपी (सहायता निधि) के अंतर्गत निधियों को जारी करने का प्रश्न है 2005-06 से सहायता क्रियाकलापों के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उत्तराखण्ड सहित सभी राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे मांगे गए थे जो अभी भी लम्बित हैं। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विलम्ब को देखते हुए 2010-11 के दौरान उत्तराखण्ड को सहायता क्रियाकलाप के अंतर्गत निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

.....2

5. राज्य को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वर्ष 2011-12 हेतु 144.89 करोड़ रू. का आवंटन किया गया है । 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार राज्य के पास 179.10 करोड़ रू. अथशेष के रूप में हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित विभाग को व्यय की गति बढ़ाने के निर्देश दें और साथ ही लम्बित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवायें जिससे कि एनआरडीडब्ल्यूपी (कार्यक्रम तथा सहायता निधि) के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को निधियां जारी की जा सकें ।

आपका,

<u>संलग्नः- उपरोक्तानुसार</u>

(जयराम रमेश)

डॉ. रमेश पोखरियाल "निशंक"
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड,
सचिवालय एनेक्सी, सुभाष मार्ग,
देहरादून